

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1/4/10

क्रमांक/ 2-11/05/22प
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
4. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय :- अध्यापक संवर्ग को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

--0--

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-11/2005/22/प-2 भोपाल, दिनांक 28.12.2005 द्वारा शिक्षाकर्मियों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के तंत्रिलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षाकर्मियों के अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी किया गया यह आदेश अध्यापक संवर्ग के लिए यथावत लागू रहेगा।

(उर्मिला शुक्ला)
उप सचिव
म.प्र शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 1/4/10

पृष्ठ क्रमांक/ 2-11/05/22प
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
5. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
म.प्र शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग